

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक/अकादमिक/अ०म०/2021/1052

रीवा, दिनांक 5.8.21


अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत प्रबंध संकाय अन्तर्गत व्यवसाय प्रशासन के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

व्यवसाय प्रशासन अध्ययन मण्डल


अधिनियम	28(2) एक	1.	प्रो० अतुल पाण्डेय, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
	28(2) दो	1.	रिवत
		2.	रिवत
	28(2) तीन	1.	रिवत
	28(2) चार	1.	डॉ० संकल्प शुक्ला, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन, वी०आई०एम०आर० सतना (म०प्र०)
		2.	डॉ० सुनीता रोहरा, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विन्ध्यांचल महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
	28(2) पाँच	1.	डॉ० अतुल दुबे, प्राध्यापक, व्यवसाय प्रशासन विभाग श्री राम कॉलेज, जबलपुर (म०प्र०)
		2.	प्रो० योगेश उपाध्याय, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत प्रो० अतुल पाण्डेय को व्यवसाय प्रशासन अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


5.8.21
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)